

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प...2/2014/502 दिनांक 20/10/14

**--:आदेश:-**

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अधीन सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों पर एक ही कार्यरत चिकित्सक का स्थानान्तरण/पदस्थान अन्यत्र स्थान पर होने की स्थिति में स्थानान्तरणधीन स्थान हेतु चिकित्सक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. निजि सहायक, निदेशक(जन स्वास्थ्य) निदेशालय मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, निदेशालय मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर